आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
03-10-2023	**वाद सं0–19 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पं0–भेंडरा, प्र0–नावाडीह, जिला–बोकारो **telephone** के माध्यम से उपस्थित। पिछली सुनवाई जो दिनांक–08.09.2023 को हुई थी, उसमें आयोग ने शिकायतकर्ता को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के विरूद्ध अपना पक्ष प्रेषित करने को निदेशित किया था। शिकायतकर्ता द्वारा अपना पक्ष समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में आयोग इस वाद की सुनवाई 31.10.2023 निर्धारित करते हुए कार्यालय को यह निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन की एक प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजें और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी यह निदेश दिया जाय कि वे शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गये पक्ष के विरूद्ध अपना पक्ष रखें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–31.10.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–31.10.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx46